

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क.9/नर्सिंग/सेल-3/15/

भोपाल दिनांक /8/2015

आदेश

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ष 2015 में विभागीय उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आंधार पर आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा अनुमति प्राप्त संस्था शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन में 2 वर्ष के पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्त स्थान पर प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित कर्मचारियों के नाम के सम्मुख दर्शाये नर्सिंग महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है :-

क्र.	प्रशिक्षणार्थी के नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थल	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली संस्था का नाम
सामान्य वर्ग				
1	श्रीमती रत्ना पटेल	08/10/2003	जिला चिकि. रीवा	बी. एस.सी. नर्सिंग कॉलेज जबलपुर
2	श्रीमती जोशना करीम	09/10/2003	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी	बी. एस.सी. नर्सिंग कॉलेज जबलपुर
3	श्रीमती ज्योती डेविड	20/10/2003	जिला चिकि. खण्डवा	बी. एस.सी. नर्सिंग कॉलेज उज्जैन
4	श्रीमती ज्योति पॉल	04/03/2004	जिला चिकि. उज्जैन	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज उज्जैन
अनुसूचित जाति वर्ग				
1	श्रीमती रीता पुरिया	02/11/2005	महिला स्वा. कार्यकर्ता प्रशि. केन्द्र सीहोर	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज जबलपुर

नोट :- उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों पर बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगी :-

- चयनित उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन वेलिड होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार दिनांक 07.9.2015 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित संस्था को देवे यदि उपरोक्त तिथि में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो उनका चयन स्वतः समाप्त माना जावेगा।
- जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश की पात्रता है, उन्हें ही नियमानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। यदि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश की पात्रता न हो तो शीघ्र उपसंचालक (नर्सिंग) को अवगत कराये। (पूर्व में ए.एन.एम. से जी. एन.एम. प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश का लाभ लेने की स्थिति में पुनः अध्ययन अवकाश की पात्रता नहीं होगी।)
- चयनित उम्मीदवार यदि प्रशिक्षण अवधि में किसी कारणवश प्रशिक्षण बीच में छोड़ देता है तो उसको आगामी पांच वर्ष तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रशिक्षण के लिये भेजने की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कर ली जावे।



5. चयनित उम्मीदवार को नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के समय न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. प्रशिक्षण में प्रथम बार उपस्थिति होने एवं प्रशिक्षण से कार्यमुक्त होने पर केवल एक बार ही यात्रा भत्ता दिया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
7. चयन किये जाने पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के पूर्व प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के उपरान्त 7 वर्ष की शासकीय सेवा करने का अनुबंध भरना होगा। उन्हें मध्यप्रदेश शासन की किसी भी संस्था में शासन की आवश्यकतानुसार अपनी सेवा देना अनिवार्य है।
8. प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात् किसी भी कारणवश प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय/प्रशिक्षणार्थी से वसूल की जावेगी एवं उन्हें 2 वर्ष तक उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. अध्ययन अवकाश पात्रतानुसार स्वीकृत किया जावेगा। कार्यमुक्त करने पर अध्ययन अवकाश फार्म पात्रतानुसार अनुशासा सहित संचालनालय को प्रेषित करें। उम्मीदवारों को प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हाजिरी पत्रक के अनुसार ही मूल पदस्थापना स्थान से प्रतिमाह वेतन भुगतान होगा। प्रशिक्षण में जो व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) अवधि कम होगी वह बाद में अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि में कोई भी अवकाश देय नहीं होगा। प्रशिक्षण अवधि में भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

पू.क.9/नर्सिंग/सेल-3/15/ 1032

भोपाल दिनांक 21/8/2015


प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्य प्रदेश।
3. समस्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की सेवा पुस्तिका में अंकित जाति का सत्यापन कर तत्काल प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें। यदि किसी कर्मचारी की जाति सेवा पुस्तिका में अंकित न हो या भिन्नता हो तो अवगत करायें। अध्ययन अवकाश पात्रता भी सेवापुस्तिका से परीक्षण कर अवगत करायें। कार्यमुक्त करने से पूर्व अनुबंध पत्र भी प्राप्त करें।
7. प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन की ओर प्रेषित कर लेख हे कि उपस्थित कर्मचारी के नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन तथा समस्त मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देखें।



जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होते हैं। तो उन अनुपस्थित उम्मीदवारों की जानकारी दिनांक 8.9.2015 तक उपसंचालक (नर्सिंग) को पत्र वाहक या फेक्स द्वारा भेजें ताकि प्रतिका सूची में से उम्मीदवारों के आदेश जारी किये जा सकें संबंधित उम्मीदवारों से नियमानुसार दी गई शर्तों के साथ ही उपस्थित करावें।

8. रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल गोवन्तिका परिसर, बारह दफतर, जवाहर चौक भोपाल म.प्र.।
9. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।
10. संबंधित कर्मचारी की ओर भेजकर लेख है कि दिनांक 07.9.2015 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित कालेज को दें।
11. आदेश नस्ति।


संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश